रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032024-253373
CG-DL-E-26032024-253373

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1473] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2024/चैत्र 6, 1946
No. 1473] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2024/CHAITRA 6, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2024

का.आ. 1542(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: -

1. (1) इस आदेश को एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा ।

2. एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम एलॉय उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023, जिसे इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है, के पैराग्राफ 1 के, उप-पैराग्राफ (2) को निम्नलिखित उप-पैराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: -

"(2) यह 26 सितंबर, 2024 से प्रभावी होगा"

3. उक्त आदेश के पैराग्राफ 2 के दूसरे और तीसरे परंतुक को निम्नलिखित परंतुक से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: -

"बशर्ते यह कि 26 दिसंबर, 2024 तक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा परिभाषित लघु उद्यमों के संबंध में इस आदेश में से कुछ भी लागू नहीं होगा:

"बशर्ते यह भी कि 26 मार्च, 2025 तक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों के संबंध में इस आदेश में से कुछ भी लागू नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि *एल्यूमीनियम उत्पादों के विनिर्माताओं द्वारा प्रतिवर्ष अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए दो सौ किलोग्राम तक आयातित माल अथवा वस्तुओं पर इस आदेश में से कुछ भी लागू नहीं होगा, जिसके साथ यह शर्त होगी कि; (क) ऐसे आयातित माल अथवा वस्तुओं की वाणिज्यिक रूप से बिक्री नहीं की जाएगी, और इसका निपटान कबाड़ के रूप में किया जाएगा; तथा (ख) विनिर्माता ऐसे आयातित माल अथवा वस्तुओं का वर्षवार रिकार्ड रखेगा एवं सरकारी प्राधिकारियों द्वारा अपने पत्र शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर के तहत मांगे जाने पर वह यह जानकारी उपलब्ध कराएगा।*

[फा. सं.पी -29026/7/2023-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

नोट : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में दिनांक 27 सितंबर, 2023 के का.आ. 4241 (अ) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 22nd March, 2024

S.O. 1542(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. (1) This order may be called the Aluminium amd Aluminium Alloy Products (Quality Control) Amendment Order, 2024.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2023 herein after referred to as the said order, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

   "(2) It shall come into force with effect from the 26th September, 2024";

3. In paragraph 2, of the said Order, for second and third provisos, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided further that nothing in this order shall apply to small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), until the 26th December, 2024:

"Provided also that nothing in this order shall apply to micro enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), until the 26th March, 2025:

Provided also that nothing in this Order shall apply to the *goods or articles imported up to two hundred kilograms for the purpose of research and development by manufacturers of Aluminium products per year with the condition that; (a) such imported goods and articles shall not be sold commercially, and shall be disposed of as a scrap; and (b) the manufacturer shall maintain year-wise record of such imported goods or articles and furnish the same, if so desired by the Government authorities in its letter head duly signed by its authorized signatory.*

[F. No. P-29026/7/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 4241(E), dated the 27th September, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA